

30-5/2022

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील वादी उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि ग्राम मानपुरा पटवार मण्डल खादरा स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 493, 494, 495 की खातेदारी में वादी का नाम गिगराज पुत्र नानूराम दर्ज रिकार्ड है जो गलत है। वादी का सही नाम मोठूराम पुत्र नानूराम है। परन्तु राजस्व रिकार्ड बनाते समय सहवन से वादग्रस्त आराजी में खातेदार का नाम गिगराज पुत्र नानूराम गलत दर्ज कर दिया गया। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतियां पेश की जिनमे वादी का सही नाम मोठूराम पुत्र नानूराम है। वादी ने वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र, बतौर गवाह अपने सगे भाई रामेश्वर लाल व भोलराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि की गयी है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गिगराज पुत्र नानूराम अंकित है। वादी का कथन कि वादी का सही दस्तावेजी नाम मोठूराम पुत्र नानूराम है की पुष्टि आधार कार्ड, राशन कार्ड की प्रतियों से होती है। वाद पत्र के समर्थन में बतौर साक्ष्य स्वयं का शपथ पत्र, बतौर गवाह अपने सगे भाई रामेश्वर लाल व भोलराम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे भी इन तथ्यों की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात से वादपत्र वादी सावित है।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नौमकाथाना (सीकर)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी डिक्री किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का खादरा स्थित भूमि खसरा नंबर 493, 494, 495 में दर्ज खातेदार गिगराज पुत्र नानूराम के स्थान पर मोठूराम पुत्र नानूराम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली वाद फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।



(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नौमकाथाना (सीकर)

